प्रकाशन हेतु अनुमोदन

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकलपीठ</u> : <u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 184/2004</u>

केजुराम यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

दिनांक 14-08-2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

(आर. एस. शर्मा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 184/2004

अपीलार्थी : केजुराम यादव, पिता मनीराम यादव, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी कचना, थाना मोवा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री शिवेन्दु पाण्ड्या, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

निर्णय

(दिनांक 14 अगस्त, 2012 को प्रदत्त)

यह अपील दिनांक 14-01-2004 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे "अधिनियम, 1989" कहा जाएगा), रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 1/2003 में पारित किया गया था। आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी केजुराम यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण निम्नानुसार है —

अभियोक्त्री (अ.सा-4) पीड़िता (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228-क के प्रावधानों के अधीन, पीड़िता का नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है) लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार के अधीन मजदूर के रूप में कार्य करती है तथा जाति से सतनामी है, जो अनुसूचित जाति वर्ग की है। दिनांक 18-11-2002 को अभियोक्त्री (अ.सा-4) शांति नगर, सिंचाई कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में झाड़ू लगाने हेतु गई थी, जहाँ अन्य व्यक्ति/मजदूर भी कार्यरत थे। अपीलार्थी केजुराम यादव भी वहाँ कार्य कर रहा था। अपीलार्थी अभियोक्त्री (अ.सा-4) को प्रथम तल पर झाड़ू लगाने के लिए ले गया। अपीलार्थी ने उसका हाथ एवं बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब अभियोक्त्री (अ.सा-4) ने शोर मचाने का प्रयास किया, तब अपीलार्थी ने उसका गला दबाया, उसके साथ मारपीट की तथा उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध

स्थापित किया। संघर्ष के दौरान अभियोक्त्री (अ.सा-4) की चूड़ियाँ एवं चैन टूटकर वहीं गिर गई। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा-4) के सिर पर डण्डे से प्रहार किया। तत्पश्चात अभियोक्त्री (अ.सा-4) अपने घर गई तथा घटना की जानकारी अपने पति दिनेश कुमार बंजारे (अ.सा-5) को दी और थाना सिविल लाइन, रायपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी-6) दर्ज कराई।

अन्वेषण के दौरान अभियोक्त्री (अ.सा-4) का पेटीकोट जब्त किया गया, जिसकी जब्ती पंचनामा प्रदर्श प्र.पी -7 के माध्यम से तैयार की गई। अभियोक्त्री (अ.सा-4) का जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदर्श प्र.पी -8 के माध्यम से जब्त किया गया। घटनास्थल से चैन, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े तथा प्लाईवुड का एक टुकड़ा प्रदर्श प्र.पी -10 के तहत जब्त किए गए। अभियोक्त्री को प्रदर्श पी / 13 के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु अम्बेडकर चिकित्सालय, रायपुर भेजा गया, जिसका संदर्भ प्रदर्श प्र.पी -13 है। डॉ. कल्पना (अ.सा-3) द्वारा अभियोक्त्री (अ.सा-4) का परीक्षण कर अपनी चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्र.पी -4) प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेडिकल कॉलेज, रायपुर भेजा गया। डॉ. एम.के. पुजारी (अ.सा-2) द्वारा अपीलार्थी का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रदर्श प्र.पी -2 के माध्यम से प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की *चड्डी* (अंतःवस्त्र) प्रदर्श प्र.पी -11 के तहत जब्त कर उसे परीक्षण हेतु(प्रदर्श प्र.पी -12) के माध्यम से अम्बेडकर चिकित्सालय, रायपुर भेजा गया। पेटीकोट, *चड्डी* तथा स्लाइड को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन (प्र.पी -15) प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया गया, जहाँ विचारण उपरांत अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर उपर्युक्तानुसार दण्डित किया गया।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेन्दु पाण्ड्या ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को अभियोक्त्री (अ.सा-4) द्वारा झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि अभियोक्त्री (अ.सा-4) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों का कथन संगत एवं भरोसेमंद नहीं है तथा पीड़िता का बयान विरोधाभासों से परिपूर्ण है। अतः अभियोक्त्री (अ.सा-4) के साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में **पविंदर आहलूवालिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, 2010 (1) MPHT 13 (DB) तथा जोसफ पुत्र कूवेली पौलो बनाम केरल राज्य, AIR 2000 SC 1608** के निर्णयों का अवलंब लिया ।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने उपरांत, मैंने विशेष प्रकरण क्रमांक 1/2003 के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. अभियोजन साक्षी (अ.सा-4) ने अपने बयान में अभिव्यक्त किया कि वह एक ठेकेदार के अधीन उद्यान (गार्डन) में कार्य करती थी। वह पाहुना गेस्ट हाउस में कार्यरत थी। अपीलार्थी लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी था। घटना के दिन वह शांति नगर स्थित ए.जी. साहब के बंगले के भूतल पर झाड़ू लगा रही थी। उक्त बंगले में कुछ कार्य चल रहा था तथा अपीलार्थी भी वहाँ कार्यरत था। अपीलार्थी के कहने पर वह ऊपरी मंजिल के एक कक्ष में झाड़ू लगाने हेतु गई। उस कक्ष में कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। जैसे ही वह कक्ष में पहुँची, अपीलार्थी ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया, उसका अंतःवस्त्र उतार दिया, उसका पेटीकोट ऊपर उठा दिया तथा उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करने लगा। जब उसने चिल्लाने का प्रयास किया, तब अपीलार्थी ने पास में पड़ा हुआ एक डण्डा उठाकर उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वहाँ से रक्तस्राव होने लगा। अपीलार्थी ने उसका गला भी दबाया, जिसके कारण वह चिल्ला नहीं सकी। अपीलार्थी के नाखूनों से उसकी गर्दन पर भी चोट आई। अपीलार्थी ने उसके कान पर भी डण्डे से प्रहार किया। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी ने उसके हाथ भी पकड़े, जिससे उसकी चूड़ियाँ टूट गईं, उसके हाथों में चोट आई तथा वहाँ से रक्तस्राव हुआ। उसने स्वयं को छुड़ाने के उद्देश्य से अपीलार्थी को पैर से प्रहार किया और किसी प्रकार स्वयं को उसके कब्जे से मुक्त कराने में सफल रही। इसके पश्चात वह भूतल पर आई, किन्तु वहाँ अपीलार्थी के सहकर्मी कार्यरत थे, अतः किसी ने उसकी सहायता नहीं की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोक्त्री (अ.सा-4) ने आगे अपने कथन में अभिव्यक्त किया कि वह अपने घर गई तथा घटना की जानकारी अपने पति को दी। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ घटनास्थल पर वापस आई, परंतु तब तक अपीलार्थी वहाँ से फरार हो चुका था। उसने अपने पति को घटनास्थल पर ले जाकर दिखाया, जहाँ टूटी हुई चूड़ियाँ, हार तथा डण्डा पड़ा हुआ था। इसके उपरांत वे थाना सिविल लाइन्स गए तथा वहाँ प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी -6) दर्ज कराया।

8. अब मैं यह परीक्षण करूँगा कि अभियोजन साक्षी (अ.सा-4) का साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है या नहीं तथा क्या उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2012 Cri. L.J. 693 (SC)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिमत व्यक्त किया है —

"<u>अभियोक्त्री का साक्ष्य :</u>

15. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला अपराध की सहभागी नहीं होती, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति की वासना की पीड़ित होती है। पीड़िता का स्थान एक साधारण घायल साक्षी से भी उच्च माना जाता है, क्योंकि वह शारीरिक के साथ-साथ मानसिक एवं भावनात्मक आघात भी सहन करती है। अतः उसके साक्ष्य को उसी प्रकार के संदेह की दृष्टि से परखा जाना आवश्यक नहीं है, जैसा कि किसी सह-अपराधी के साक्ष्य के संबंध में किया जाता है। भारतीय साक्ष्य

अधिनियम, 1872 (जिसे आगे 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका महत्वपूर्ण तथ्यों में पुष्टिकरण न हो। वह निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम साक्षी है तथा उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में एक घायल साक्षी के साक्ष्य को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में भी वही सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए, जो किसी घायल परिवादी या साक्षी के साक्ष्य के संबंध में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। यदि न्यायालय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह संतुष्ट हो जाए कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर कार्य कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में ऐसी कोई विधिक बाध्यता या प्रचलित नियम नहीं है, जैसा कि धारा 114 के दृष्टांत (ख) में निहित है, जो न्यायालय को अनिवार्य रूप से पुष्टिकरण खोजने हेतु बाध्य करे। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के कथन पर पूर्णतः निर्भर होने में संकोच अनुभव करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को आश्वस्ति प्रदान करे, यद्यपि वह उस प्रकार का पुष्टिकरण न हो जो किसी सह-अपराधी के मामले में अपेक्षित होता है। यदि प्रकरण के अभिलेख पर उपलब्ध समस्त परिस्थितियों के समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियोजन साक्षी (अभियोक्त्री) के पास अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई सशक्त कारण नहीं है, तो सामान्यतः न्यायालय को उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों का विचार करते समय न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग एवं संवेदनशील रहना आवश्यक है। बलात्कार केवल शारीरिक आक्रमण मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रायः अभियोक्त्री के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विचलित एवं आहत कर देता है। बलात्कारी एक असहाय स्त्री की आत्मा को भी आघात पहुँचाता है। अतः अभियोक्त्री के कथन का मूल्यांकन सम्पूर्ण प्रकरण की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, यदि अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं भी किया गया हो, तो वह अभियोजन के लिए कोई गंभीर त्रुटि नहीं मानी जाएगी, विशेषकर तब, जब उन साक्षियों ने अपराध को होते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा ही न हो। (देखें : महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, **AIR** 1990 **SC** 658; *(1990 **Cri LJ** 889)*; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू उर्फ यूनुस एवं अन्य, **AIR** 2005 **SC** : *(2004 **AIR SCW** 6563)*; तथा विजय उर्फ चीनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2010) 8 **SCC** 191) : *(**AIR** 2011 **SC (Cri)** 940 : 2010 **AIR SCW** 5510)*.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, उक्त विषय पर विधि का जो सिद्धांत स्थापित होता है, वह यह है कि यदि अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसके समर्थन में सपुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है।

10. वर्तमान प्रकरण में प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन साक्षी (अ.सा-4) ने अभिव्यक्त किया कि घटना से पूर्व अपीलार्थी ने उससे कहा था कि उसके ठेकेदार द्वारा ऊपरी मंजिल के

कक्ष में भी झाड़ू लगाने का निर्देश दिया गया है। इस पर वह अपीलार्थी के साथ ऊपरी मंजिल के कक्ष में गई, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं कि वहाँ कार्यरत अन्य व्यक्तियों ने अपीलार्थी द्वारा दिया गया उक्त निर्देश सुना था या नहीं। उसने यह स्वीकार किया कि जब वह ऊपरी मंजिल के कक्ष की ओर जा रही थी, तब अपीलार्थी उसके पीछे-पीछे आ रहा था; किन्तु यह कहना असत्य है कि वह और अपीलार्थी ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने आगे कथन किया कि यह भी असत्य है कि प्रथम तल के कक्ष में पहुँचने के पश्चात उसने अपीलार्थी से कहा था कि उक्त कार्य उसके ठेकेदार द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है, अतः वह उस कार्य के लिए पृथक से पारिश्रमिक (शुल्क) लेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दिनेश कुमार बंजारे (अ.सा-5) ने अपने कथन में अभिव्यक्त किया कि उसकी पत्नी, अभियोक्त्री (अ.सा-4), रिक्शा से घर आई। उसने देखा कि उसके हाथों में सूजन थी तथा उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं थीं। उसके सिर एवं कान से रक्तस्राव हो रहा था। उसने आगे कथन किया कि उसकी पत्नी ने उसे घटना की सम्पूर्ण जानकारी दी। तत्पश्चात वह उसके साथ घटनास्थल पर गया। वहाँ उसने देखा कि डण्डा, टूटा हुआ हार (नेकलेस) तथा टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े हुए थे। इसके उपरांत वे थाना सिविल लाइन्स, रायपुर गए, जहाँ अभियोक्त्री (अ.सा-4) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी -6) दर्ज कराया।

12. लालाकुमार (अ.सा-6) एवं भुखनलाल (अ.सा-7) ने अपने-अपने कथनों में अभिव्यक्त किया कि अभियोक्त्री (अ.सा-4) श्रीवास्तव साहब के बंगले में कार्य कर रही थी। अपीलार्थी भी वहाँ कार्यरत था। उन्होंने यह देखा कि अपीलार्थी वहाँ से भाग रहा था। उन्होंने आगे कथन

किया कि कुछ समय पश्चात अभियोक्त्री ((अ.सा-4) पुलिस को घटनास्थल पर लेकर आई और उसने उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया है।

13. अभियोक्त्री ((अ.सा-4) ने अपने कथन में अभिव्यक्त किया कि उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया था। डॉ. कल्पना (अ.सा-3) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अभियोक्त्री ((अ.सा-4) का चिकित्सीय परीक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट (प्र.पी -4) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई — **(i)** दाहिने अग्रबाहु (कलाई के समीप) पर 1 × 0.25 सेमी का खरोंच, **(ii)** गर्दन के दाहिने भाग पर 0.5 × 0.25 सेमी का खरोंच, तथा **(iii)** दाहिने कान पर 1 × 1 सेमी का खरोंच। उन्होंने आगे अभिव्यक्त किया कि उक्त चोटें परीक्षण से पूर्व 12 घंटे के भीतर की प्रतीत होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभियोजन साक्षी (अ.सा-4) के योनि स्वैब की दो स्लाइड तैयार कीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उप-निरीक्षक लॉरेंस खेस (अ.सा-9) ने अपने कथन में कहा कि जब्त की गई वस्तुओं को विधि विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर भेजा गया था। प्र.पी -15 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट (प्र.पी -15) में यह उल्लेखित है कि वस्तु **A** (पेटीकोट), वस्तु **B** (अपीलार्थी का अंतःवस्त्र) तथा अभियोजन साक्षी की स्लाइड पर मानव शुक्राणु के धब्बे पाए गए।

15. अपीलार्थी ने यह अभिवाक किया कि पारिश्रमिक (मजदूरी) के भुगतान के विवाद के कारण अभियोक्त्री (अ.सा-4) ने उसे झूठा फँसाया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के

अंतर्गत दिए गए अपने कथन में अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा-4) के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध स्थापित करने से पूर्णतः इंकार किया।

16. **बलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, AIR 1987 SC 1080** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है —

> **"14.** हमारे लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि अभियोक्त्री (पीड़िता) के पिता की अपीलार्थियों के विरुद्ध शत्रुता के कारण उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। यह संभव है कि दलिप सिंह और अपीलार्थियों के मध्य मुकदमे लंबित हों, परंतु यह सुझाव देना सर्वथा असंगत है कि केवल उक्त मुकदमो या किसी शत्रुता के कारण, जो दलिप सिंह को अपीलार्थियों के प्रति हो सकती है, वह अपनी पुत्री को अपीलार्थियों द्वारा किए गए बलात्कार के प्रकरण में झूठा अलिप्त कर देगा। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने उचित ही यह अवलोकन किया है कि अपीलार्थी, जो कि ऋणी थे, अपने लेनदार दलिप सिंह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से उसकी पुत्री कुमारी राजवंत कौर (अ.सा-2) के साथ बलात्कार करने में सामूहिक हित रखते थे। अतः अपीलार्थियों का यह तर्क कि दलिप सिंह की उनके प्रति शत्रुता के कारण उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है, निराधार है तथा उसमें कोई सार नहीं है।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **पृथी चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, AIR 1989 SC 702** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है —

"9. इसके पश्चात यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को उसके पिता और बालिका के पिता के मध्य दीर्घकालीन शत्रुता के कारण झूठा फँसाया गया है। अभियोक्त्री ने अपने कथन में कहा है कि दोनों परिवारों के संबंध तनावपूर्ण होने के कारण आपसी बातचीत एवं मेल मिलाप नहीं था। प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया गया कि अ.सा.-8 फूलन देवी के पुत्र रत्ना के साथ अभियोक्त्री के अंतरंग संबंध थे तथा उसी ने बालिका के साथ बलात्कार किया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में अपीलार्थी ने यह कहा कि जब वह सायंकाल अपने गाँव लौटा, तब उसने बालिका के घर पर कुछ महिलाओं को देखा और बालिका को यह कहते हुए सुना कि उसके साथ रत्ना द्वारा बलात्कार किया गया है। यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अभियोजन साक्षी एवं उसके माता-पिता वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध में झूठा फँसाएँगे। अ.सा.-8 फूलन देवी (रत्ना की माता) से किये गये प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझाव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए कथन के अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो उक्त सुझाव को विश्वसनीयता प्रदान कर सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **विष्णु उर्फ उंद्रिया बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 1 SCC 283** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अवलोकन किया है —

"24. अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में पूर्णतः इस बात से इंकार किया कि उसने अभियोक्त्री के साथ किसी प्रकार का

शारीरिक संबंध स्थापित किया था। मूल अभिलेख के पृष्ठ 154 पर प्रश्न क्रमांक 19 उसके समक्ष रखा गया, जो घटना-दिनांक पर अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करने संबंधी उसके कथन से संबंधित था। इसके उत्तर में उसने कहा — 'यह असत्य है।' मूल अभिलेख के पृष्ठ 167 पर प्रश्न क्रमांक 64 यह पूछा गया कि क्या वह अपने बचाव में कुछ और कहना चाहता है, जिसके उत्तर में उसने कहा — 'मैं निर्दोष हूँ और इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया हूँ।' उसे किस प्रकार झूठा फँसाया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।"

(देखें: **प्रमोद महतो एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, AIR 1989 SC 1475**)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने पूर्णतः इंकार का अभिवाक किया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत जब प्रश्न क्रमांक 6 एवं 7 अपीलार्थी के समक्ष रखे गए, तब उसने मात्र यह उत्तर दिया कि वे गलत हैं। अपीलार्थी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया। जब उससे यह पूछा गया कि क्या वह अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है, तब उसने उत्तर दिया कि वह निर्दोष है तथा अभियोक्त्री (अ.सा-4) ने मजदूरी के भुगतान संबंधी किसी विवाद के कारण उसे झूठा फँसाया है। तथापि, उसे किस प्रकार झूठा फँसाया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोक्त्री (अ.सा-4) एक विवाहित महिला है। यह स्वीकार करना कठिन है कि मात्र मजदूरी के भुगतान संबंधी किसी विवाद के कारण वह स्वयं को बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के

प्रकरण में झूठा संलिप्त करेगी। अतः अपीलार्थी का यह तर्क कि मजदूरी के भुगतान न होने के कारण उसे झूठा फँसाया गया है, निराधार है तथा उसमें कोई सार नहीं है।

20. अभियोक्त्री (अ.सा-4) के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट द्वारा विधिवत् होती है। चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्र.पी -4) के अनुसार अभियोक्त्री (अ.सा-4) के शरीर पर चोटें पाई गईं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्र.पी -15) में अभियोक्त्री (अ.सा-4) के पेटीकोट तथा योनि-स्लाइड पर मानव शुक्राणु के धब्बे पाए जाने का उल्लेख है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि जब अभियोक्त्री (अ.सा-4) घटनास्थल पर कार्यरत थी, तब अपीलार्थी ने उसे पकड़कर नीचे गिराया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। अभियोक्त्री (अ.सा-4) के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा भी होती है। अभियोक्त्री (अ.सा-4) का कथन विश्वसनीय, भरोसेमंद एवं विश्वास उत्पन्न करने वाला है तथा उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

22. अतः विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषसिद्ध किए जाने का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है। इसलिए आक्षेपित निर्णय को किसी प्रकार की अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता।

23. तदनुसार, यह अपील निराधार पाए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूतियों से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह शेष दण्डावधि भुगतने हेतु तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

सही/-

(आर. एस. शर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)